न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 61/**2018** **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री राधेश्याम पिता भीमदास स्वामी निवासी बाडा, गढ़ के पीछे, चुरू **——अपीलार्थी**	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा **——प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : २९ .08.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 23.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 863751 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 12.04.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा के पत्रांक 1393 दिनांक 29.08.2018 से रिपोर्ट प्राप्त

हुई। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को सूचना ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी आसीन्द द्वारा जरिये डाक पत्रांक 62–64 दिनांक 23.07.2018 को प्रेषित किए जाने की प्रति संलग्न है। प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित पूर्व में ही एक द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपील सं. 4350/2017 अन्तर्गत धारा 19(3) उनवान राधेश्याम बनाम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी आसीन्द में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2017 से निर्णित हो चुकी है। अब इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही इस न्यायालय क्षेत्राधिकार में शेष नही रहती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा